न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 55/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र भौरया उर्फ भूरा जाति बलाई निवासी ग्राम अजबगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्र कजोड़ जाति बलाई निवासी ग्राम अजबगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

.....असल रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

..... तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री राजीव सिद्ध अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अशोक कुमार सैनी अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गुवाड़ा भूरियावाली तहसील थानागाजी जिला अलवर में आराजी खाता सं0 65 ख0 नं0 206 रकबा 0.28 है0 स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम मुताबिक रेकार्ड जमाबन्दी कब्जे काश्त खातेदारी में चली आ रही है । वादी विवादित आराजी पर अर्सा करीब 20–22 साल से अपने दत्तक पिता असल प्रतिवादी के साथ काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी प्रतिवादी सं0 1 का दत्तक पुत्र है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दत्तक पुत्र को उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि एक औरस पुत्र को प्राप्त होते हैं । वादी असल प्रतिवादी का एक मात्र जायज वारिस है ।

1 2018

विवादित आराजी में वादी का जन्म से ही हक़ हिस्सा निहित चला आ रहा है । असल प्रतिवादी ने दि0 7.9.2015 को वादी के हक में गांव मोतबीरान पंच पटेलों एवं सरपंच ग्राम पंचायत अजबगढ़ के समक्ष गोदनामा तहरीर तकमील कर अपने गवाहान मोतबीरान के हस्ताक्षर कराये हैं जिसमें स्वयं प्रतिवादी ने वादी को अपना दत्तक पुत्र माना एवं वादी को अपने पास करीब 20 साल से गोद लेना बताया है और मरने के बाद वादी को ही अपनी चल अचल सम्पति का मालिक होना अंकित किया है । वादी ही असल प्रतवादी की सेवा टहल करता आ रहा है एवं वादी ने अपनी माता यानि प्रतिवादी असल की पत्नि दाखादेवी की मृत्यु के बाद समस्त कियाकर्मादि करवाये हैं जो लेख गोदनामा सादा पेपर पर तहरीर तकमील किया हुआ है । विवादित आराजी पर वादी अपने हिस्सा पर अर्सा करीब 20–22 साल से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर वादी का कब्जा काश्त खातेदारी का है । प्रतिवादी स0 1 के नाम रेकार्ड में उक्त आराजी दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी सं0 1. ने अपने कब्जे, काश्त खातेदारी की आराजी को अपने दत्तक पुत्र को एक हिस्सा एवं एक हिस्सा अपने स्वयं के पास रखकर काश्त करने के लिए बता दी और मौके पर वादी का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी चला आ रहा है जिस पर वादी अपने उक्त हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी का आज भी मौके पर कब्जा काश्त खातेदारी मौजूद है । वादी के हिस्सा आराजी से प्रतिवादी असल का या अन्य किसी का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है । वादी का विवादित आराजी में जन्म से ही हिस्सा निहित है तथा वादी के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी आय व जीविकोपार्जन के लिए नहीं है । मौके पर वादी का कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है । प्रतिवादी सं0 1 की वृद्धावस्था हो चुकी है जो अब दीगर लोगों के दवाब व बहावट मे है । जो अपने नाम रेकार्ड में खातेदारी की आराजी को दीगर लोगों को रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में बाधा डालता है और वादी के हिस्सा पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रतिवादी सं0 1 अपने नाम उक्तानुसार रेकार्ड में होने कारण दीगर लोगों को रहन, बय मुन्तकिल करने की धमकी देता है । इसलिए उसे पाबन्द करने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दि0 12.06.2017 अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जिस निर्णय दि0 12.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/असल रेस्पो0 ने दावा यह कहते हुए किया कि आराजी ख0 नं0 206 रकबा 0.28 है0 है । वादी ने अपने आपको प्रतिवादी का दत्तक पुत्र बताया है । दि0 7.9.2015 को तहरीर गोदनामा होना बताया है । प्रतिवादी विवादित आराजी को बेचना चाहते हैं । वादी का कहना है कि वह मूल्या का दत्तक पुत्र है । मूल्या आराजी को बेचना चाहता है । इसलिए इस आधार पर दावा व

प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने जवाब दिया कि वादी कैलाश को अपीलांट ने गोद नहीं लिया । वादी का असल पिता कजोड़ है । वादी प्रतिवादी के साथ कभी नहीं रहा न ही काश्त है और न ही गोद की रस्म हुई है । यदि कोई फर्जी गोदनामा बनाया है तो वह मेरी जमीन को हड़पने के लिए बनाया है । वह फर्जी गोदनामा है उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है । प्रतिवादी के भाई का लड़का वादी नहीं है । प्रतिवादी भूरा का लड़का है और प्रतिवादी ही एकमात्र रेकार्डेड खातेदार है । तहत न्यायालय में रेस्पो0 यह साबित नहीं कर पाया कि वह दत्तक पुत्र है । दावे में यह बिन्दू तय होगा कि गोदनामा सही है या गलत । प्रार्थना पत्र में यह मनगढ़न्त है । वादी ने गोद की तारीख अंकित की है वह उस समय 15 वर्ष से अधिक का था । वादी के नियमित वाद के दस्तावेजों में पिता का नाम कजोड़ है । यदि दत्तक पुत्र है तो पिता मूल्या दर्ज होता । गोदनामा तहरीर रजिस्टर्ड नहीं है । इसलिए यह संदेहास्पद प्रमाण है । बिना साक्ष्य के गोदनामा सही माना जबकि यह तो साक्ष्य से दावे में तय होगा । रेकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है । मूल्या रेकार्डेड खातेदार है जिसकी जमाबन्दी है । प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दू प्राईमाफैसी केस, अपूरणीय क्षति आदि तहत न्यायालय ने तय नहीं किये हैं । विवादित आराजी मेरे कब्जे में है । अपीलांट 80 साल का बुजुर्ग है उसकी आराजी को हड़पना चाहते हैं । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 ने कहा कि विवादित आराजी मुताबिक रेकार्ड जमाबन्दी प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर वह अर्से दराज से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी ने विवादित आराजी पर कभी भी काबिज रहकर काश्त नहीं की न उसका इस आराजी से कोई संबंध है, न वह प्रतिवादी का दत्तक पुत्र है । प्रतिवादी सं0 1 ने वादी को कभी भी गोद नहीं लिया न उसके असल पिता कजोड़ ने कभी मुझे गोद दिया तथा कोई रस्म कभी नहीं हुई न गोद की बात कोई तहरीर लिखी गयी । वादी फर्जी तरीके से प्रतिवादी सं0 1 की आराजी को हड़प करने की नियत से झूंठा दावा गोद का पुत्र बनकर पेश किया है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्धारा रेस्पो0/वादी को दत्तक पुत्र मानते हुए प्रार्थना पत्र 212 आर. टी.एक्ट में जारी स्थगन आदेश को अपने निर्णय से पुष्ट किया है । अपीलांट विवादित आराजी का मूल खातेदार है । अपीलांट रेस्पो0 का दत्तक पुत्र है या नहीं ? यह प्रकरण चूंकि मूल वाद के निर्णय का विषय है । अपीलांट के कथनानुसार वह दत्तक पुत्र है । ऐसी स्थिति में मूल विवाद तो दावे में तय होगा, परन्तु विवाद के साथ यह भी सत्य है कि अपीलांट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

इसलिए तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2017 को निरस्त करते हुए आदेश इस तरह से जारी किये जाते कि अपीलांट विवादित आराजी वर्णित वादपत्र के 1/2 हिस्से की आराजी का राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा मूल वाद के निर्णय तक

विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को रहन, बय एवं मुन्तकित न करें । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दि0 12.06.2017 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र के 1/2 हिस्से की आराजी का राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करें, शेष निर्णय यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर